

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)**

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2016

**-: आदेश :-**

शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प 1(1) सानि/2016 दिनांक 30.09.2016, 07.10.2016 एवं 10.10.2016 के द्वारा इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होकर आये निम्नांकित अधिशाषी अभियन्ताओं का पदस्थापन प्रशासनिक/राज्यहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	विभाग में उपस्थिति दिनांक	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री आर.एस.पुरोहित	13.10.2016	अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, जालौर	रिक्त पद पर
2.	श्री हरि सिंह मीणा पुत्र श्री राम किशन मीणा	17.10.2016 मध्याह्न पूर्व	अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, टोंक	रिक्त पद पर
3.	श्री हनुमान सहाय मीना	17.10.2016 मध्याह्न पूर्व	अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, चूरु	रिक्त पद पर
4.	श्री गंगश्याम पुरोहित	17.10.2016 मध्याह्न पूर्व	अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, नागौर	रिक्त पद पर
5.	श्री पंकज शर्मा	18.10.2016 मध्याह्न पूर्व	अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, अजमेर	रिक्त पद पर
6.	श्री आनन्दी लाल	20.10.2016 मध्याह्न पूर्व	अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, टोंक	रिक्त पद पर

उपरोक्त अधिकारियों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण योगकाल अवकाश देय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

  
(सीमा सिंह)

**संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जालौर, टोक, चूरु, नागौर एवं अजमेर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर, टोक, चूरु, नागौर एवं अजमेर।
10. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को तत्काल प्रस्तुत करें।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)